मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर

मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर, उ0प्र0–251002

Website: www.mdamuzaffarnagar.com & Email : mdamzn@yahoo.co.in

सार्वजनिक सूचना

उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–11 के अन्तर्गत जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत जी0आई0एस0 आधारित शामली महायोजना–2031(प्रारूप) भाग (ख)–कैराना को प्राधिकरण की 57वीं बोर्ड बैठक के मद संख्याः–01/57 पर परिचालन विधि से अनुमोदनोपरान्त जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु दिनांकः–21.05.2025 से दिनांकः–27.05.2025 तक कार्यालय–मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर के साथ–साथ जिलाधिकारी कार्यालय, जनपद–शामली एवं कार्यालय नगर पालिका परिषद, कैराना में आयोजित की जा रही है साथ ही मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर की वेबसाईट www.mdamuzaffarnagar.com पर भी उपलब्ध है।

समस्त जनसामान्य/सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग/गैर सरकारी विभाग/स्थानीय निकायों को सूचित किया जाता है कि उक्त अवधि में शामली महायोजना–2031(प्रारूप) भाग (ख)–कैराना के प्रारूप का अवलोकन कर अपने बहुमूल्य आपत्ति/सुझाव को उपाध्यक्ष, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर को सम्बोधित करते हुए (चार प्रतियों में) मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर में दिनांकः–21.05.2025 से दिनांकः–27.05.2025 तक की अवधि में किसी भी कार्य दिवस में अथवा प्राधिकरण की ई–मेल mdamzn@yahoo.co.in पर भी उपलब्ध करा सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त आपत्तियों/सुझावों की सुनवाई शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा दिनांकः–29.05.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, मुजफ्फरनगर के सभागार स्थल पर की जायेगी। आपत्ति/सुझावकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें। उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर प्राधिकरण कार्यालय में अनुपस्थित होने पर शासन द्वारा गठित समिति द्वारा आपके आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा। इसके उपरान्त शामली महायोजना–2031(प्रारूप) भाग (ख)–कैराना को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

सचिव
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर

उपाध्यक्ष
मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण
मुजफ्फरनगर